INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN : NEW DELHI-1

No. 21-24/2007 - CDN

Dated the 20th August, 2007.

To

All Directors/Project Directors of
ICAR Research Institutes.

Sub :- Age limit for dependent children of Govt. servant and pensioners for availing medical facilities under CGHS and Central Services (MA) Rules, 1944 - regarding.

A copy of the O.M. No. 4-24/96 – C&P/CGHS/CGHS (P) dated 31.5.2007 of the Ministry of Health & Family Welfare (Deptt. of Health & Family Welfare) on the above cited subject is enclosed for information and guidance.

(V.D. NANIWADEKAR)
UNDER SECRETARY (GAC & CASH)

DISTRIBUTION:

1. OSD to DG.,ICAR.
2. PPS to Secy., ICAR.
3. Director(Fin.),ICAR/ Director(Per.),ICAR.
4. Dr. B. N. Chatopadhyay, Media & Information Unit for putting in the ICAR Web – Site.
5. All officers/sections at ICAR Hq./KAB I & II.
6. Secy (Staff Side) HJSC, ICAR, Krishi Bhavan.
7. Secy. (Staff Side), CJSC, NCIPM, Pusa, New Delhi.

The Directors of Research Institute are also requested to make available copy of orders/instructions to the staff side officials JCM of their Instt.

सं. 4-24/96-सी एण्ड पी/ सीजीएचएस/ सीजीएचएस (पी)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 31 मई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एवं केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों के आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आश्रित पुत्रों तथा पुत्रियों के लिए पहले आयु सीमा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 के कार्यालय-ज्ञापन सं. बी-12014/7/92- सीजीएचएस (पी) के तहत नियत की गई थी जिसके अनुसार पुत्रों की आयु 25 वर्ष से कम या जब तक वह उपार्जन करना शुरू न कर देता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक वह माता/पिता पर आश्रित माना जाता था। दिल्ली के माननीय न्यायालय द्वारा सिविल विविध याचिका सं. 115/97 में श्री मदन मोहन शर्मा बनाम भारत संघ में 1996 की सिविल रिट याचिका सं. 2542 में स्थगन आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 सितम्बर, 1999 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. 4-24/96-सी एंड पी/सीजीएचएस/सीजीएचएस (पी) जारी किया जिसके तहत पुत्रों के लिए उच्च आयु सीमा हटा दी गई बशर्ते कि वे आश्रितता से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा करते हो तथा सामान्यतया सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ रहते हों। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के आदेश द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया है।

2. रिट याचिका खारिज किए जाने पर आश्रितों के लिए आयु सीमा को पुनः नियत करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(i)	पुत्र	उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

③

(ii)	पुत्री	आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।
(iii)	किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र (शारीरिक या मानसिक)	आयु सीमा पर विचार किए बिना
(iv)	आश्रित तलाकशुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियां/ विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा /पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुइ बहनें/विधवा बहनें	आयु सीमा पर विचार किए बिना
(v)	नाबालिग भाई	वयस्क होने की आयु तक

3. आश्रितता तथा सामान्यतया सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ रहने की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

4. यह आदेश कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

5. यह आदेश केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 के तहत आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

6. इसे आंतरिक वित्त प्रभाग की दिनांक 15 मई, 2007 की डायरी सं. 2552/2007 के तहत ली गई सहमति से जारी किया गया है।

(रा.रवि)
उपसचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 23063483